

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर जयपुर

कमांक-एफ.21(1)(321)पूल/आईसीडीएस/19/पार्ट-1/ 62487

जयपुर, दिनांक 25/4/2022

आदेश

विभागीय आदेश कमांक 58526 दिनांक 19-4-2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 (28-2-2023 तक) के लिए आईसीडीएस सामान्य के अन्तर्गत ग्रामीण बाल विकास परियोजना कार्यालय के लिए किराये के वाहनों की जारी स्वीकृति के क्रम संख्या 27, 30, 31, 32, 39, 47, 88 एवं 122 पर अंकित परियोजना कार्यालयों में दी गयी किराये के वाहनों की स्वीकृति को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

साथ ही उक्त आदेश के क्रम संख्या 6 पर परियोजना राशमी (अलवर) के स्थान पर राशमी (चित्तौड़गढ़), क्रम संख्या 36 पर तिजारा (बूंदी) के स्थान पर तिजारा (अलवर), क्रम सं. 46 पर नीम्बेहडा (चित्तौड़गढ़) के स्थान पर निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़), क्रम संख्या 91 पर बुआना (झुन्झुनू) के स्थान पर बुआना (झुन्झुनू) तथा क्रम सं. 94 पर बालोतरा (जोधपुर) के स्थान पर बालेसर (जोधपुर) पढा जावे।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

कमांक-एफ.21(1)(321)पूल/आईसीडीएस/19/पार्ट-1/ 62488-98
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

जयपुर, दिनांक 25/4/2022

1. निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
3. सम्बन्धित उप निदेशक, मबावि
4. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी
5. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली

प्रभारी अधिकारी (पूल)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर